न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतभाटा

पीठासीन अधिकारीः– कैलाश चन्द गुर्जर , उपखण्ड अधिकारी रावतभाटा

प्रकरण संख्या– 68 / 2022 प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 रा.ले.रे.एक्ट

1. सुगना बाई पत्नि रामप्रसाद जाति जंगम आयु 53 वर्ष निवासी बाजार नं. 02 सेवाराम क्लिनिक के पास वार्ड नं. 08 रावतभाटा जिला चितौडगढ़।
2. श्रीमति जानकी बाई पत्नि श्री कंवरलाल आयु 69 वर्ष निवासी बाजार नं. 02 सेवाराम क्लिनिक के पास वार्ड नं. 08 रावतभाटा जिला चितौडगढ़।
3. प्रहलाद पिता श्री मांगीनाथ जाति जंगम आयु 58 वर्ष निवासी बाजार नं. 01 जैन धर्मशाला के पास रावतभाटा जिला चितौडगढ़।

...............प्रार्थीगण

विरूद्व

1. नारायण पिता खेमा जाति मेघवाल आयु 65 वर्ष निवासी नागणी तहसील रावतभाटा जिला चितौडगढ़।
2. राजूलाल पिता श्री नारायण जाति मेघवाल आयु बालिग निवासी नागणी तहसील रावतभाटा जिला चितौडगढ़।
3. कामड़ पिता श्री नारायण जाति मेघवाल आयु बालिग निवासी नागणी तहसील रावतभाटा जिला चितौडगढ़।
4. जरिये भूमिधारी तहसीलदार रावतभाटा।

...........विपक्षीगण

निर्णय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू–राजस्व अधिनियम

अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से :– **श्री यशवन्तराय श्रीवास्तव।**
अधिवक्ता अप्रार्थी की ओर से :– **श्री भूपेन्द्र पुरोहित।**

दिनांकः– 30.09.2022

–ःआदेशः–

प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया गया हैं कि ग्राम मौजा जावराकलां प0ह0 बाडौलिया तहसील रावतभाटा की जमाबन्दी सम्वत 2076–79 दर्ज रिकार्ड हैं। जिसका खाता संख्या 24 खसरा संख्या 39 रकबा 0.6400 है0 लगानी 0.64 रूपये भूमि प्रार्थीगण के नाम सहखातेदारी हक से दर्ज रिकार्ड होकर प्रार्थीगण के सहखातेदारी एवं कब्जेकाश्त की हैं जिसकी पत्थरगढी करने का निवेदन किया है।

प्रार्थीगण ने प्रार्थना–पत्र द्वारा निवेदन किया कि खसरा संख्या 39 के पड़ौसी खातेदार व प्रार्थी के बीच कृषि आराजीयात पर फसल बुवाई और फसल कटाई को लेकर व पास मेब के बाडे में फसल को रखने को लेकर व आये दिन मेड, घास फुस को काटने व सीमाओं को लेकर विवाद होता रहता है। प्रार्थीगण ने निवेदन किया हैं कि प्रार्थीगण की खातेदारी की आराजीयात की मौके पर अभिलेख अनुसार नपती की जाकर मौके पर स्थाई सीमा चिन्ह स्थापित कराये जावे। प्रार्थीगण की ओर से आराजीयात जैर बहस की नकल जमाबंदी एवं नक्शा ट्रैस प्रस्तुत किया गया हैं। प्रार्थी को सुना तथा प्रस्तुत राजस्व अभिलेख का निरीक्षण किया– प्रार्थीगण उक्त आराजीयात जैर बहस के खातेदार काश्तकार होकर इन्हे आराजीयात जैर बहस की नपती करा पत्थरगढ़ी कराने का अधिकार निहित है।

पत्रावली पर अप्रार्थी संख्या 1 से 3 की ओर से अधिवक्ता श्री भूपेन्द्र पुरोहित ने वकालतनामा प्रस्तुत किया गया। पत्रावली पर अप्रार्थी संख्या 03 पेरोकार सरकार तहसीलदार रावतभाटा द्वारा प्रकरण में जवाब प्रस्तुत नहीं कर प्रार्थना पत्र पर सहमति व्यक्त की गई। अप्रार्थी संख्या 1 से 3 की ओर से अधिवक्ता पुरोहित ने पत्रावली में जवाब प्रस्तुत नही कर सिधे बहस की गई। पत्रावली में उभय पक्ष की बहस सुनी। पत्रावली पर उभय पक्ष को सुना गया पत्रावली का अवलोकन किया गया, तथ्यों पर मनन किया गया।

प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–128 रा.ले.रे. एक्ट को स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार रावतभाटा को प्रकरण हाजा में कमिश्नर नियुक्त कर आदेश दिया जाता हैं ग्राम मौजा जावराकलां प0ह0 बाडौलिया तहसील रावतभाटा की जमाबन्दी सम्वत 2076–79 दर्ज रिकार्ड हैं। जिसका खाता संख्या 24 खसरा संख्या 39 रकबा

उपखण्ड अधिकारी
रावतभाटा (चित्तौड़गढ़)

0.64 है0 भूमि प्रार्थीगण के नाम पर सहखातेदारी हक दर्ज रिकार्ड की फरिकेन मुकदमा को सूचित कर उनकी उपस्थिति में बंदोबस्ती नक्शे अनुसार बिना कब्जे में दखल दिये नपती की जाकर सही सीमा चिन्ह स्थापित किये जाने हेतु पत्थरगढ़ी की जावे एवं मौके पर कोई विवाद हो तो पुनः न्यायालय में पेश करें। पर्चा मौका एवं मौका ट्रैस 15 योम में इस कार्यालय को प्रस्तुत किया जावे। कमिश्नर फीस 1000/—रूपये अक्षरे एक हजार रूपये प्रार्थी से वसूल किये जावे। प्रकरण दर्ज रजिस्टर होकर जा.दी. दायरी रजिस्टर नम्बर से कम होकर शुमार फैसल हो।

यह निर्णय आज दिनांक 30.09.2022 को खुले न्यायालय के इजलास में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रावतभाटा जिला चित्तौडगढ़